# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 –180 / 2020(2020 / 00285)

अनवान : –

राकेश कुमार पुत्र गिरदावरी जाति जाट निवासी सवाईछानी हाल आबाद ढूकड़ा जिला सिरसा।

वादी

बनाम

1. नरसी पुत्र गिरदावरी जाति जाट निवासी सवाईछानी हाल आबाद ढूकड़ा जिला सिरसा।
2. धापादेवी पुत्री गिरदावरी जाति जाट निवासी सवाईछानी हाल आबाद ढूकड़ा जिला सिरसा।
3. कैलाश पुत्री गिरदावरी जाति जाट निवासी सवाईछानी हाल आबाद ढूकड़ा जिला सिरसा।
4. पूनम पुत्री गिरदावरी जाति जाट निवासी सवाईछानी हाल आबाद ढूकड़ा जिला सिरसा।
5. गिरदावरी पुत्री· नानक जाति जाट निवासी सवाईछानी हाल आबाद ढूकड़ा जिला सिरसा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :– श्री पवन सिहाग वादी
श्री भानुप्रताप प्रतिवादीगण

### निर्णय

दिनांक: 04/03/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस [illegible] 4 जेजीडब्ल्यू के वर्तमान खाता संख्या 95/98 के मु[illegible] 88 [illegible] 15, 16, 22 ता 25, मु0 न0 89 के किला न0 6, 7, 11 ता 25 [illegible] 12, 18 ता 23, मु0 न0 15 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 14, 17 ता 2[illegible] मु0 न0 106 के किला [illegible] ता 20, 24, 25, मु0 न0 107 के किला न0 1 ता 20, मु0 न0 144 के किला न0 13 ता 18, 23 ता 25 इस प्रकार कुल किता 102 की कुल 25.806 हैक्टेयर नहरी बारानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:14:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व, भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

मय रास्ता में प्रतिवादी संख्या 5 गिरदावरी के नाम 300 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के नाना नानक की खातेदारी हुआ करती थी। नानक से विरास्तन वादभूमि जो प्रतिवादी गिरदावरी ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी गिरदावरी के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 2 ता 4 वादी की बहिन है एवं प्रतिवादी संख्या 5 वादी की माता है जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

साक्ष्य वादी में वादी राकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी ढुकड़ा तहसील नाथुसरी चौपटा मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र पेश कर साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 4 जेजीडब्ल्यू सम्वत 2074–77 खाता संख्या 95/98 प्रदर्श 1, जमाबनदी खतौनी चक 4 जेजीडब्ल्यू सम्वत 2037 खाता संख्या 46 प्रदर्श 2, सरपंच ग्राम पंचायत ढुकड़ा द्वारा जारी सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:14:00 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर ... किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया ... ने रोही मौजा चक 4 जेजीडब्ल्यू के वर्तमान खाता संख्या 95/98 ... मुरब्बा न0 88 के किला न0 15, 16, 22 ता 25, मु0 न0 89 के किला न0 6, 7, ... ता 25, मु0 न0 90 के किला न0 9 ता 12, 18 ता 23, मु0 न0 15 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 14, 17 ता 24, मु0 न0 106 के किला न0 1 ता 20, 24, 25, मु0 न0 107 के किला न0 1 ता 20, मु0 न0

उपखण्डाधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

144 के किला न0 13 ता 18, 23 ता 25 इस प्रकार कुल किता 102 की कुल 25.806 हैक्टेयर नहरी बारानी मय रास्ता में प्रतिवादी संख्या 5 गिरदावरी के नाम 300 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि पैत्रक दादालाई कृषि भूमि होना साबित नही है। वाद के तथ्यों अनुसार वादी उक्त कृषि भूमि को अपनी माता से ले रहा है वादी ने ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नही किया जिससे वाद भूमि पैत्रक साबित हो। मुताबिक हिन्दु विधि प्रतिवादियां संख्या 5 गिरदावरी को वाद भूमि पर पूर्णतया अधिकार है उसके जीवन काल में उसके किसी भी वारिस को वाद भूमि का बंटवारा करवाने का कोई हक व अधिकार नही है। उक्त भूमि वादी की माता को वादी के नाना से प्राप्त हुई है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु पद्धति से शासित उक्त कृषि भूमि दादालाई साबित नही हो रही है। इस प्रकार वाद वादी अस्वीकार होने के कारण खारिज किया जाता है।

अतः वाद वादी साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04/03/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व), R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:14:00 IST
Reason: SelfAttested